



GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS

ALWAR - 301001

उप वन संरक्षक, अलवर - 301001

Tel : 144- 2701923 (o)

E-mail : dcf.alwr.forest@rajasthan.gov.in

अद्वृशासकीय पत्रांक एफ18(63) एफ.सी.ए/उवस/2022/365
दिनांक : 17/01/2022

Apoorva Krishna Srivastava
I.F.S.

अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव
आई.एफ.एस.

विषय:- Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

प्रिय श्री अजय आर्यल,

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी (एफसीए) राजा जयपुर से ऑनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.

उक्त आक्षेप के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5653 दिनांक 11.08.2021 से वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए (एन.एच.ए.आई) के दोषी अधिकारी, विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्तर आपके पत्रांक 1055 दिनांक 23.08.2021 व 1819 दिनांक 02.12.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। आप द्वारा टोल प्लाजा का निर्माण में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने के बावजूद एक समान प्रत्युत्तर दिया जा रहा है जिसमें किसी अधिकारी का नाम स्पष्टता से नहीं लिया जा रहा है जो उचित नहीं है। इसलिए आप द्वारा अभी तक वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जिसके अभाव में प्रकरण की स्वीकृति के संबंध में प्रगति नहीं हो पा रही है जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी है।

अतः आप दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि प्रकरण को उच्च कार्यालय भिजवाया जाना संभव हो सके।

श्री अजय आर्यल
पी.डी. (एन.एच.ए.आई) पी.आई.यू., जयपुर

शुभेच्छु

(ए० के० श्रीवास्तव)